

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

दिनांक- 16/03/16 को अपठ 3.30 बजे प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में बैंकर्स प्रतिनिधियों के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

NULM योजना के घटक Self Employment Programme (SEP) के अन्तर्गत शहरी गरीबों के त्वरित क्रेडिट लिंकेज हेतु बैंकर्सों के साथ विस्तृत चर्चा के दौरान निम्न निर्णय लिए गए हैं।

1. आवेदन पत्र :-

एस0एल0बी0सी0 के संयोजक से अनुरोध किया कि DAY-NULM के तहत SEP का एक कॉमन आवेदन प्रपत्र जारी किया जाय, जो सभी बैंकर्सों के लिये मान्य हो।

इस हेतु जीविका के कॉमन आवेदन पत्र का अध्ययन किया जाय और शहरी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर एक मान्य आवेदन पत्र जारी किया जाय, जिसे सभी बैंकर्स ने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

2. टास्क फोर्स की बैठक:-

यह निर्णय लिया गया कि ULB में टास्क फोर्स की बैठक प्रभावी ढंग से आयोजित की जाय। प्रधान सचिव के मंतव्य के मुताबिक सभी शहरो के अग्रणी जिला प्रबंधक, संबंधित क्षेत्र के कम से कम 2 प्रमुख बैंकर्स/शाखा प्रबंधकों को निर्देशित करें कि ULB के टास्क फोर्स की बैठक में प्रमुखता से भाग ले, ताकि SEP के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निर्णायक चयन हो तथा संबंधित बैंक शाखाओं को त्वरित गति से अग्रसारित किया जाय, ताकि ULB स्तर पर एक भी आवेदन लम्बित न रहे।

3. ULB स्तर पर कैम्प का आयोजन:-

प्रधान सचिव से प्राप्त निदेश के संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक शनिवार को खाता खोलने तथा ऋण वितरण हेतु ULB में कैम्प का आयोजन किया जाय, ताकि त्वरित गति से खाता खुले तथा ऋण वितरण का कार्य का निष्पादन यथा शीघ्र किया जाय।

SLBC संयोजक के द्वारा यह बताया गया कि बैंक मित्र जीविका द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। इस संबंध में प्रधान सचिव ने ALO के सक्रिय प्रतिनिधि/CRPs को बैंक मित्र के रूप में प्रयोग करने का निदेश दिया, जिसकी सूची विभिन्न बैंकों में उपलब्ध करायी जाय, ताकि ऋण वितरण कार्य का निष्पादन शीघ्रतिशीघ्र किया जाय। इस कार्य में बैंक मित्र मॉडल के आधार पर कार्य किया जाय।

4. स्वीकृत ऋण की राशि:-

प्रधान सचिव ने कहा कि SEP के अन्तर्गत न्यूनतम राशि ऋण के रूप में मुहैया करायी जाती है। उनका मानना था कि कम से कम पचास हजार रुपये की ऋण राशि वितरित होनी चाहिये, ताकि

शहरी गरीब अपनी जीविका आसानी से शुरू कर सके। सभी बैंकरो ने उनके सुझाव पर अपनी सहमति जतायी।

5. क्रेडिट लिंकेज के संबंध में RBI के मास्टर सर्कुलर का अध्ययन:-

प्रधान सचिव ने यह भी परामर्श दिया कि RBI के मास्टर सर्कुलर का अध्ययन किया जाय और क्रेडिट लिंकेज की प्रक्रिया तथा ऋण वितरण की यथोचित राशि के बारे में बैंकरो का मार्गदर्शन किया जाय। एक स्वर से सर्वों ने उनके परामर्स को स्वीकार किया।

6. स्ट्रीट भेन्डर को O/D की सुविधा:-

चर्चा के दौरान यह विचार रखा गया कि स्ट्रीट भेन्डर को पाँच हजार की O/D सुविधा दी जाय। SLBC संयोजक ने स्पष्ट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानुरूप इस तरह की सुविधा देने का प्रावधान नहीं है। प्रधान सचिव महोदय ने इसपर पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया। नासवी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत भी आवेदन देने पर भी एक भी आवेदन बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं हुई है। इस पर प्रधान सचिव ने एक महीने के अन्दर बैंकों के किस शाखा में आवेदन लम्बित है, उसकी सूची SLBC संयोजक को उपलब्ध करावें और दो महीने में होने वाली बैठक में इसकी विस्तृत समीक्षा करें।

7. क्षेत्रीय स्तर के संगठन/शहरी स्तर के संगठन को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में

क्षेत्र स्तर के संगठन/शहरी स्तर के संगठन को ऋण की सुविधा मुहैया कराने पर विचार-विमर्श किया गया। SLBC संयोजक ने इस तरह के ऋण पर मूल्यांकन हेतु सुझाव दिया।

8. सबके लिये गृह:-

चर्चा के दौरान इस बात की अहमचर्चा हुई कि शहरी हर गरीबों के लिये गृह की व्यवस्था हो तथा इसके लिये छः लाख तक के ऋण पर सूद में नियमानुसार छूट दी जाय। ऋण की राशि तथा गृह का रकवा छोटा अथवा बड़ा हो सकता है, लेकिन सूद में छूट निम्नानुसार ही देय होगी। सभी बैंकरो ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जतायी। इस संबंध में प्रधान सचिव ने संबंधित Application को नगर निकायों द्वारा रूट करने का निदेश दिया, जिससे इस योजना से ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें।

9. बैंक के साथ MOU का प्रावधान:-

बैठक में यह तीव्र चर्चा का विषय रहा कि बैंको के साथ MOU का प्रावधान हो ताकि SEP के अन्तर्गत ऋण का वितरण आसानी से हो सके तथा समूहों का खाता आसानी से खुल सके। इस विषय पर बैंकरो के बीच पुनर्विचार पर बल दिया गया।


10. **FI तथा SEP के अन्तर्गत टारगेट का निर्धारण:-**

यह भी निर्णय लिया गया कि FI तथा Sep के अन्तर्गत टारगेट का निर्धारण हो तथा इसकी उपलब्धि शत-प्रतिशत हो इसपर आम सहमति जतायी गयी।

11. प्रसंगवस PMC के प्रोजेक्ट समन्वयक ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि बर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति में सिर्फ 12 दिन शेष रह गये हैं, अतएव बिहार स्थित अपने-अपने शाखा प्रबंधकों से अनुरोध करे कि SEP के अन्तर्गत जो लम्बित आवेदन पड़े हुए हैं, उसका निष्पादन अविलम्ब करें, ताकि SEP की प्रगति में गुणात्मक वृद्धि हो। बैंकों के तरफ से सकारात्मक जवाब प्राप्त हुआ।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


विश्वासभाजन


प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापन - 001/SEP-Comm/2015-16 - 236 ज.वि.आ.वि./दिनांक - 1.4.16

प्रतिलिपि :- जिला अग्रणी प्रबंधक पटना/SLBC संयोजक भारतीय स्टेट बैंक/ आंचलिक प्रबंधक देना बैंक/ आंचलिक प्रबंधक युनियन बैंक/ आंचलिक प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा/ आंचलिक प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया/ आंचलिक प्रबंधक युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/ आंचलिक प्रबंधक सेन्टरल बैंक ऑफ इंडिया/ आंचलिक प्रबंधक इलाहाबाद बैंक/ टीम लीडर APMAS/ टीम लीडर नासवी/टीम लीडर स्पर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

